# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
## पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 66/2015
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

ओमप्रकाश आत्मज श्री हजारीराम, जाट, चक 500 एल.एन. पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.......वादी

2718
30/11/17
दस्ती
ओमप्रकाश

बनाम

1. मनीराम आत्मज श्री हजारीराम, जाट,
2. श्रीमती कलावंती धर्मपत्नी श्री हजारीराम, जाट,
3. श्रीमती सुलोचना आत्मजा श्री हजारीराम, जाट, चक 500 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
4. विष्णुदत्त एवं
5. संजयकुमार आत्मजन श्री पूर्णराम, जाट, चक 500 एल.एन. पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
6. अधिशाषी अभियन्ता, गंगनहर, दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर,
7. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर,
8. मेम्बरसिंह आत्मज श्री नाजरसिंह, जटसिख, चक 500 एल. एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.......प्रतिवादीगण

उपस्थिति– श्री मोहनलाल माहर (वादी)
श्री भजनलाल टाक (प्रतिवादी–1से4)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–7)

**दिनांक 03 जनवरी, 2018**

**– निर्णय –**

वादपत्र के अनुसार चक 500 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 5/5 मुरब्बा नम्बर 51 के 15.00 किता, मुरब्बा नम्बर 54 के 2.00 किता, मुरब्बा नम्बर 62 के 2.00 किता, मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 14 से 17 एवं किला नम्बर 24 एवं 25 कुल 6.00 किता, मुरब्बा नम्बर 72 में 11.00 बीघा वादी के नाम पर राजस्व अभिलेखों में खातेदारी दर्ज है. चक 500 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 4, 8, 13, 14, 18, 22 एवं मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 2, 10, 11,19, 20, 21, मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 21 व 22, मुरब्बा नम्बर 64 किला नम्बर 1, 2, 9, 10, मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 14, 15, 17, 22, 5 6, 7, मुरब्बा नम्बर 69 किला नम्बर 22, 19, मुरब्बा नम्बर 72 के किला नम्बर 2, 9, 12 में वादी के नाम पर कृषि भूमि है जिन पर काश्त हेतु सिंचाई सुविधा प्राप्त है जिसका मामला व आबियाना वादी द्वारा भरा जा रहा है. उक्त कृषि भूमि के अतिरिक्त वादी के नाम प्रतिवादी के साथ संयुक्त खाता संख्या 6/7 मुरब्बा नम्बर 39 के 3.00 बीघा, मुरब्बा



सहायक कलक्टर एवं

नम्बर 55 में 5.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 64 में 6.00 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 80 में 1.00 बीघा, संयुक्त खाता संख्या 7/8 मुरब्बा नम्बर 9 में 4.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 55 में 14.00 बीघा दर्ज है. उल्लेखित संयुक्त खाता की कृषि भूमि का आज दिनांक तक विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा राजस्व अभिलेखों में संयुक्त रूप से दर्ज होने के कारण न केवल मामला, लगान आदि के भुगतान करने में बाधा हो रही है बल्कि रास्ता, खाल, नाका एवं अन्य सुविधाओं को भी परस्पर तनाव बना रहता है और समय समय पर विवाद पैदा होता है. वादी अपने हिस्सा की कृषि भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहता है किन्तु राजस्व अभिलेखों में संयुक्त भूमि दर्ज होने से सुधार कार्य नहीं करवाकर उचित लाभ भी नहीं उठा सकता है. ऐसी स्थिति में, विभाजन करवाना आवश्यक है. प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त की भूमि में न केवल विधि विरूद्व हस्तक्षेप कर बेदखल करना चाहते हैं बल्कि प्रतिवादी संख्या 6 बिना कारण पानी की बारी में कटौति करने में प्रयासरत है इस प्रकार विभाजन आवश्यक है जिससे किलावाईज कृषि भूमि दर्ज हो सके तथा वादी को मिल रही पानी की बारी में किसी भी प्रकार से कमी अथवा कटौति न हो सके. वादी के एकल नाम पर दर्ज कृषि भूमि में भी प्रतिवादी हस्तक्षेप करने तथा प्रतिवादी संख्या 6 पानी की बारी कम करने तथा कटौति करने में प्रयासरत है. ऐसी स्थिति में, वादी अपने नाम पर दर्ज कृषि भूमि में हस्तक्षेप रूकवाने तथा बारी पानी में कमी न करने के लिये भी स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है. इस प्रकार वादी द्वारा चक 500 एल.एन. पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 5/5 मुरब्बा नम्बर 51 के 15.00किता, मुरब्बा नम्बर 54 के 2.00 किता, मुरब्बा नम्बर 62 के 2.00 किता, मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 14 से 17 एवं किला नम्बर 24 एवं 25 कुल 6.00 किता, मुरब्बा नम्बर 72 में 11.00 बीघा वादी के नाम पर राजस्व अभिलेखों में खातेदारी दर्ज है. चक 500 एल. एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 4, 8, 13, 14, 18, 22 एवं मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 2, 10, 11,19, 20, 21, मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 21 व 22, मुरब्बा नम्बर 64 किला नम्बर 1, 2, 9, 10, मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 14, 15, 17, 22, 5 6, 7, मुरब्बा नम्बर 69 किला नम्बर 22, 19, मुरब्बा नम्बर 72 के किला नम्बर 2, 9, 12 का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 8 के मध्य विभाजन कर किलावाईज कृषि भूमि दर्ज करने, वादी के एकल नाम पर दर्ज कृषि भूमि एवं संयुक्त खाता की कृषि भूमि में अंकित वादी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि में हस्तक्षेप कर बेदखल करने एवं पानी की बारी में कटौति करने से निषिद्व किये जाने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2063–2066 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता के माध्यम से एवं प्रतिवादी संख्या 6 उपस्थित.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
( फास्ट ट्रेक ) श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा उपस्थित आकर जवाब वादपत्र दिनांक 12 जनवरी, 2009 प्रस्तुत किया गया प्रारम्भिक आपत्तियां में अंकित किया गया कि एल.एन.पी. वितरिका गंग कैनाल फीडर की बुर्जी सेख्या 0 से निकल कर गंगकैनाल फीडर के बाई दिशा के बैक के साथ साथ बुर्जी संख्या 31 तक चलती थी. गंगकैनाल फीडर के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत एल.एन.पी. 0 से 31 तक एबेन्ण्डन कर दिया गया. फीडर की बुर्जी 0 से 31 आधुनिकीकरण के तहत पक्का करते समय एल.एन.पी. की बुर्जी संख्या 0 से 31 की मिट्टी को फीडर के उपयोग में लिया गया है. तत्पश्चात एल.एन.पी. वितरिका की बुर्जी सेख 0 से 31 तक की भूमि (आर.डी. 0 से 18 तक करीब करीब 18 से 31 तक कहीं कही) अनाधिकृत कब्जे का काश्तकारों द्वारा काश्त कर ली गयी. एल.एन.पी. 0 से 18 तक का रकबा खसरा नम्बर 74 के अन्तर्गत आता है वादी के परिवार द्वारा चक 500 एल.एन.पी. के खसरा नम्बर 74 के अन्तर्गत एल.एन.पी. नजर के कुल 15.13 बीघा रकबा पर अनाधिकृत कब्जा कर इस भूमि पर जबरन काश्त की जा रही है वादी द्वारा वर्ष 2007'08 में इसी प्रश्न पर रकबे में 1.06 बीघा पर बाग एवं 14.07 बीघा पर गन्दम की काश्त की गयी थी जिस पर प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा कार्यालस आदेश संख्या 6794–96 दिनांक 16 जून, 2008 के अनुसार 20 गुणा तावार कायम करने के आदेश जारी किये गये जिसका इन्द्राज अभिलेखों में उपलब्ध है. वादी द्वारा खरीफ, 2008 एवं रबी, 2008–09 फसल में भी राजकीय भूमि पर जबरन काश्त की गयी जिसे आज दिनांक तक वादी द्वारा खाली नही किया गया है इस प्रकार वादी द्वारा नियमों के विरूद्व सिंचाई विभाग की भूमि पर जबरन काश्त की जा रही है. जिसे खाली करवाया जाना न्यायसंगत है. विभाग द्वारा वादी की कृषि भूमि में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा बल्कि विभाग द्वारा मात्र अपनी राजकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाने का प्रयास किया जा रहा है तथा विभाग द्वारा स्वीकृत सिंचित कृषि भूमि की बारी में कसी भी प्रकार की कटौति नहीं की जा रही है. इस प्रकार वादपत्र सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया गया. जवाब वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में खण्डीय सिंचन अधिकारी, जल संसाधन, दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर द्वारा जारी पत्रांक 6494–96 दिनांक 16 जून, 2008,पटवारी हल्का द्वारा जारी प्रतिवेदन दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 की प्रतियां संलंग्न प्रस्तुत की गयी.

वादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 06 अगस्त, 2015 अन्तर्गत आदेश 10 नियम 2 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 4, 5 एवं 8 को संयुक्त खाता होने के कारण प्रतिपक्षकार बनाया गया है किन्तु खाता का विभाजन हो चुका है, ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी संख्या 4, 5 एवं 8 को तर्क किये जाने का निवेदन किया गया. जिसे यथा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4, 5 एवं 8 को प्रतिवादीगण की सूचि से विलोपित किया गया.

वादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 29 सितम्बर, 2015 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति हस्ताक्षरित करने के



सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक

परिणामतः आवेदनपत्र स्वीकार किय गया. यथा संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया गया.

जवाब वादपत्र हेतु यथोचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब वादपत्र प्रस्तुत नही किये जाने के कारण दिनांक 12 जनवरी, 2016 को अन्तिम अवसर दिया गया तत्पश्चात भी जवाब वादपत्र प्रस्तुत नहीं करने के परिणामतः दिनांक 27 जनवरी, 2016 को जवाब वादपत्र बन्द किया गया.

प्रतिवादी संख्या 7 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा उपस्थित आकर जवाब वादपत्र दिनांक 08 मार्च, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राज्यपक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया, राज्यहितों को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया–

1. क्या चक 500 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 6/7 मुरब्बा नम्बर 39 के 3.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 55 के 5.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 64 के 6.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 80 में 1.00 बीघा, एवं खाता संख्या 7/8 के मुरब्बा नम्बर 39 के 4.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 55 में 14.00 बीघा वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का वादी विभाजन करवाने का अधिकारी है? ...वादी

2. क्या वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? ...वादी

3. क्या चक 500 एल.एन.पी.के खसरा नम्बर 74 के अनतर्गत नहर की कुल 15.13 बघा पर वादी द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया है? जिस सिंचाई विभाग अतिक्रमण से मुक्त करवाने का अधिकारी है ..प्रतिवादी–6

4. अनुतोष?

विवाद्यको के विनिश्चिय हेतु वादी साक्ष्य हेतु श्री ओमप्रकाश द्वारा प्रमाणित शपथपत्र मय अभिलेख प्रस्तुत किया गया. जिससे राज्यपक्ष की ओर से जिरह की गयी.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या चक 500 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 6/7 मुरब्बा नम्बर 39 के 3.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 55 के 5.00 बीघा, मुरब्बा



सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
श्रीगंगानगर

नम्बर 64 के 6.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 80 में 1.00 बीघा, एवं खाता संख्या 7/8 के मुरब्बा नम्बर 39 के 4.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 55 में 14.00 बीघा वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का वादी विभाजन करवाने का अधिकारी है? ...वादी

वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2063–2066 के अनुसार चक 500 एल.एन.पी के खाता संख्या 6/7 मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 5, 6 एवं 15, मुरब्बा नम्बर 55 किला नम्बर 2, 12, 19, 20 एवं 21, मुरब्बा नम्बर 64 किला नम्बर 7, 8/1, 15, 16, 22/1 एवं 25, मुरब्बा नम्बर 80 किला नम्बर 25/1 एवं खाता संख्या 7/8 मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 14, 15, 17 एवं 24, मुरब्बा नम्बर 55 किला नम्बर 2 से 5, किला नम्बर 7 से 9, किला नम्बर 11, 13, 18, 19, 21 से 23 संयुक्त खाता में वादी सह खातेदार है. वादी उल्लेखित कृषि भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है, इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 – क्या वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? ...वादी

चूंकि वादी अनुसार चक 500 एल.एन.पी के खाता संख्या 6/7 मुरब्बा नम्बर 39, मुरब्बा नम्बर 55, मुरब्बा नम्बर 64, मुरब्बा नम्बर 80 एवं खाता संख्या 7/8 मुरब्बा नम्बर 39, मुरब्बा नम्बर 55 स्थित कृषि भूमि का संयुक्त खातेदार है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 5 एवं 8 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है. इस पकार विवाद्यक संख्या 2 वादी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 3 – क्या चक 500 एल.एन.पी.के खसरा नम्बर 74 के अनतर्गत नहर की कुल 15.13 बघा पर वादी द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया है? जिस सिंचाई विभाग अति–कमण से मुक्त करवाने का अधिकारी है ..प्रतिवादी–6

प्रतिवादी संख्या 6 राज्य सरकार का ही महत्वपूर्ण विभाग है, यदि सिंचाई विभाग की भूमि के किसी भी भाग पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अतिक्रमण किया गया है तो सिंचाई विभाग उसे अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिये सक्षम एवं स्वतन्त्र है. इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय को सिंचाई विभाग की भूमि में हस्तक्षेप करने का कोई क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है. ऐसी स्थिति में, विवाद्यक संख्या 3 पर किसी भी प्रकार की अन्यथा विवेचना करना उचित नहीं है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

उक्त विवाद्यकों के विनिश्चय के अनुसार राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2063–2066 के अनुसार चक 500 एल.एन.पी के खाता संख्या 6/7 मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 5, 6 एवं 15,



सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक

मुरब्बा नम्बर 55 किला नम्बर 2, 12, 19, 20 एवं 21, मुरब्बा नम्बर 64 किला नम्बर 7, 8/1, 15, 16, 22/1 एवं 25, मुरब्बा नम्बर 80 किला नम्बर 25/1 एवं खाता संख्या 7/8 मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 14, 15, 17 एवं 24, मुरब्बा नम्बर 55 किला नम्बर 2 से 5, किला नम्बर 7 से 9, किला नम्बर 11, 13, 18, 19, 21 से 23 संयुक्त खाता में वादी सह खातेदार है तथा वादी विभाजन करवाने का अधिकारी घोषित कर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज वादी के हिस्सा तक राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल), नियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव हेतु भेजे जाने पर वादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 10 जून, 2016 अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत करने पर पत्रावली पुनः पेशी में ली गयी. प्रस्तुत आवेदनपत्र के अनुसार उक्त शीर्षक के वाद में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25 मई, 2016 में वादपत्र में अपेक्षित अनुतोष नहीं दिया गया. इस प्रकार वादपत्र के अनुसार अपेक्षित अनुतोष दिये जाने के संशोधित आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया गया.

वाद पत्रावली में संलग्न संशोधित वादपत्र में अनुतोष क(1) यह कि वाके चक 500 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 4,8,13,14,18,22, मुरब्बा नम्बर 55 के किलानम्बर 2, 10,11,19,20,21, मुरब्बा नम्बर 62 किला नम्बर 21 व 22, मुरब्बा नम्बर 64 किला नम्बर 1,2,9,10, मुरब्बा नम्बर 68 किला नम्बर 14,15,17,22,5,6,7, मुरब्बा नम्बर 69 के किला नम्बर 22,19 एवं मुरब्बा नम्बर 72 किला नम्बर 2,9,12 की खातेदारी कृषि भूमि का विभाजन किया जाकर किला वाईज रकबा दर्ज किया जाकर लगान कायम किये जाने का निवेदन किया गया. एवं अनुतोष ख. डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादि की जावे कि वादपत्र के बिन्दु संख्या 2 क में अंकित वादी अकेले के नाम से दर्ज कृषि भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 8 के साथ संयुक्त खाता में दर्ज कृषि भूमि पर वादी के कब्जा काश्त मे प्रतिवादीगण हस्तक्षेप करने व बेदखल करने व पानी की बारी कम करने काटने से बाज व ममनू रहें. किन्तु इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 मई, 2016 में चक 500 एल.एन.पी. के संयुक्त खाता संख्या 6/7 मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 5,6 एवं 15, मुरब्बा नम्बर 55 किला नम्बर 2,12,19,20 एवं 21, मुरब्बा नम्बर 64 किला नम्बर 7,8/1,15,16,22/1 एवं 25 मुरब्बा नम्बर 80 किला नम्बर 25/1 एवं खाता संख्या 7/8 मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 14,15,17एवं 24 मुरब्बा नम्बर 55 किला नम्बर 2 से 5, 7 से 9, 11,13,18,19,21 से 23 की बाबत विभाजन प्रस्ताव हेतु आदेश जारी किये गये हैं. जो कि स्पष्टताः कम्प्यूटराईजेशन टंकण की लिपिकीय त्रुटि है जिसे यथा धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है.

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25 मई, 2016 के पृष्ठ संख्या 5 के अन्तिम पैरा एवं आदेश विलोपित किया जाकर पृष्ठ संख्या 5 के अन्तिम पैरा में – चक 500 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 4,8,13,14,18,22,



सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
( फास्ट ट्रेक ) श्रीगंगानगर

मुरब्बा नम्बर 55 के किलानम्बर 2, 10,11,19,20,21, मुरब्बा नम्बर 62 किला नम्बर 21 व 22, मुरब्बा नम्बर 64 किला नम्बर 1,2,9,10, मुरब्बा नम्बर 68 किला नम्बर 14, 15, 17, 22, 5, 6, 7, मुरब्बा नम्बर 69 के किला नम्बर 22, 19 एवं मुरब्बा नम्बर 72 किला नम्बर 2,9,12 खातेदारी कृषि भूमि में वादी अपने हिस्सा के अनुसार विभाजन करवाने का अधिकारी है. यथा संशोधन आदेश एवं संशोधित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20 जून, 2016 जारी किये गये.

तहसीलदार (राजस्व) भू.अ. शाखा, श्रीगंगानगर द्वारा जारी विभाजन प्रस्ताव संख्या भू.अ./डिक्री प्रस्ता./2017/2587 दिनांक 3 अप्रेल, 2017 प्राप्त होने पर वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होने की टिप्पणी हस्ताक्षरित करने के साथ साथ आवेदनपत्र दिनांक 14 नवम्बर, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 25 मई, 2016 को निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी थी तथा अब उक्त प्रकरण प्रस्ताव तहसीलदार, श्रीगंगानगर से मांगा गया है. उक्त प्रस्ताव किलानुसार मौका एवं रिकार्ड की स्थिति के अनुसार सही प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि गलत पेश किया हुआ है. इसलिये उक्त प्रस्ताव को पुनः मंगवाया जावे ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके. जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति हस्ताक्षरित करने पर आदेश दिनांक 29 नवम्बर, 2017 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया गया. इस प्रकार उक्त प्रस्ताव तहसीलदार, श्रीगंगानगर से पुनः मंगवाये जाने का निवेदन किया गया. तदोपरान्त, तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2017/ 9455 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार मा. न्यायालय द्वारा संशोधित आदेश दिनांक 20 जून, 2016 द्वारा प्रकरण में राजस्व अभिलेखों में वादी के हिस्सा तक राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल), नियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव चाहा गया था जिसकी पालना में इस कार्यालय के पत्रांक 2581 दिनांक 3 अप्रेल, 2017 द्वारा प्रस्ताव भिजवा दिया गया है परन्तु आवेदक चक 500 एल. एन.पी. नहर की भूमि को विभाजन प्रस्ताव में दर्ज करवाना चाहता है जो आवेदक के खाता में दर्ज नहीं होने के कारण विभाजन प्रस्ताव में नहीं भिजवायी जा सकती. पूर्व में उल्लेख किया गया है कि गैर मुमकिन भूमि बंटवारा में पाने का पात्र नहीं है.

अधिवक्तागण द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ साथ विभाजन प्रस्ताव दिनांक 3 अप्रेल, 2017 का अवलोकन करते हुऐ अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

तहसीलदार (राजस्व) भू.अ. शाखा, श्रीगंगानगर द्वारा जारी विभाजन प्रस्ताव संख्या भू.अ./डिक्री प्रस्ता./2017/2587 दिनांक 3 अप्रेल, 2017 स्वीकार किया जाता है तथा वादी श्री ओमप्रकाश आत्मज श्री हजारीराम को चक 500 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर



सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

के मुरब्बा नम्बर 69 किला नम्बर 22(0.013) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 65 किला नम्बर 2(0.076) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 62 किला नम्बर 22(0.038) हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 64 किला नम्बर 2(0.164) हैक्टर एवं किला नम्बर 9(0.228) हैक्टर कुल 0.519 हैक्टर कृषि भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 श्री मनीराम आत्मज श्री हजारीराम को चक 500 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 55 किला नम्बर 13(0.088) हैक्टर, किला नम्बर 19(0.214) हैक्टर, किला नम्बर 20(0.139) हैक्टर, किला नम्बर 21(0.076) हैक्टर कुल 0.517 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा अन्तिम डिक्री जारी हो.

निर्णय अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 03 जनवरी, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
( फास्ट ट्रेक ) श्रीगंगानगर